सराहनीय कार्य

#OPERATION_CLEAN

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 14.02.2024

छात्र का अपहरण करने वाले 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा, 03 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा (घटना में प्रयुक्त टाटा पंच कार) की गयी बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना चकरनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.02.2024 को वादी योगेश गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनरायन गुप्ता निवासी राजपुर रोड कस्बा व थाना चकरनगर जनपद इटावा द्वारा थाना चकरनगर पर सूचना दी गयी कि उसका 13 वर्षीय पुत्र कर्तव्य गुप्ता सुबह 08.30 बजे स्कूल जा रहा था तभी **सफेद रंग की टाटा पंच कार** से अज्ञात युवकों ने उसका अपहरण कर लिया जो कार लेकर ग्राम गनियावर भरेह रोड की तरफ भाग गये हैं। **सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना चकरनगर पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष थाना भरेह पुलिस टीम को सूचना दी गयी। पुलिस टीमों से स्वयं को घिरता देखकर गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण गाड़ी रोड से नीचे पलट गयी, पुलिस टीमों द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया एवं अभियुक्त आकाश पुत्र राधाकृष्ण सिंह को समय 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चकरनगर पर मु0अ0सं0 07/2024 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं व मेरे अन्य दो साथियों ने अवैध तमन्चे के साथ व्यापारी योगेश गुप्ता के बेटे को अगवा करने की योजना बनाई थी परन्तु पुलिस ने हमारी यह योजना असफल कर दी जिस कारण मैंने तमन्चा वहीं खेत में छिपा दिया। अभियुक्त की निशादेही के आधार पर उक्त तमन्चे की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा जब अभियुक्त को घटना स्थल पर ले जाया गया तो उसके द्वारा तमन्चा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिसकी गोली प्रभारी निरीक्षक थाना चकरनगर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 02 गोली अभियुक्त के पैर में लगी **जिसे पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में 01 अवैध तमन्चा व 03 खोखा कारतूस एवं 01 जिन्दा कारतूस सहित चम्बल नदी के किनारे से समय 01.20 बजे पुनः गिरफ्तार किया गया।**

उक्त गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना चकरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/2024 धारा 364 भादवि में धारा 307 भादवि एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी एवं घटना में प्रयुक्त कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आकाश पुत्र राधाकृष्ण सिंह निवासी ग्राम रानीपुरा थाना पावई जनपद भिण्ड म0प्र0 **उम्र 23 वर्ष।**

बरामदगीः-

1. **01 अवैध तमंचा 315 बोर**
2. **03 खोखा कारतूस 315 बोर**
3. **01 जिंदा कारतूस 315 बोर**
4. **01 कार टाटा पंच नं0 MP30ZC 1510 (धारा 207 एमवीएक्ट के तहत सीज)।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 364/307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चकरनगर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः-

प्रथम टीम - उ0नि0 जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीम- निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार कुशवाह प्रभारी थाना चकरनगर, उ0नि0 मुनीश्वर सिंह, उ0नि0 घनश्याम सिंह, हे0का0 सुमित कुमार, हे0का0 प्रमोद कुमार, हे0का0 चालक शिवसुन्दर, का0 रंजीत सिंह, का0 रवि पंवार।